छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
-------00----------

No.: L-201 ---22--- 1145
AD (K) JD DD
Section समन्वय
Date 5 JUL 2021 C.H.E.

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– **आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06. 2021**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्राचार्य
...महाविद्यालय कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

समन्वय
03/07/2021

Scanned by TapScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2021—22

1. **प्रयुक्ति :—**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीस[गढ़] विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के [साथ] सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन क[रना] होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातक[ोत्तर] कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2 **प्रवेश की तिथि :—**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :—**

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जा[वेगा।] जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित [किये] जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सि[द्धांत] के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों [सहित] निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व [सं]स्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा कि[ये जा] सकेंगें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :—**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सि[तम्बर] तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवे[श] तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिव[स] भीतर) शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावे[गी।] परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्याल[य में] परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिक[ा] (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद चाहने वाले उनके पुत्र—पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया

Scanned by TapScanner

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक ... आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओ मे प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा मे ... नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय मे पूरक प्राप्त ... विद्यार्थियों के क्रम मे होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त ... वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे. अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी ... महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्ती... करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातको... कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण–छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा।

1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इस... विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा म वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या म स बत्तीस प्र... सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या म से बारह प्रति... सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्र... सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजाति... साथ साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछडा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्र... पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्ध... के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इस विपरीत क्रम ... विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (... (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो ... अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12 2 (1) बिन्दु क्र 12 1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आर... उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं भूतपूर्व कार्मिकों ... स्वतंत्रता सं... सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण... प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम

Scanned by TapScanner

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), ... तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के **पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन** के [illegible] 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों [illegible] प्रतिशत आरक्षित रहेगा।

4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित [illegible]

5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी [illegible] काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की [illegible] यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी [illegible] जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध [illegible] होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या [illegible] होगी।

7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश [illegible] जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर [illegible] निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध [illegible] सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में [illegible] निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कडाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति [illegible] इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर [illegible] सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउटस**

स्काउटस शब्द को स्काउटस/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	[illegible] प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत

प्राचार्य शासकीय ... महाविद्यालय ... जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

OFFICE PRINCIPAL, MAHESH BAGHEL JI KESHKAL DANDKARNYA GOVT. COLLEGE KESHKAL, DISTT. KONDAGAON (C.G.)

College Code No. 2302 , web site - www.govtcollegekeshkal.in Email - keshkalcollege@gmail.com

PROGRAMME WISE NUMBER OF SEATS RESERVED

2020-21

PROGRAMME NAME	ALLOTED SEAT	SC 12%	ST 32%	OBC 14%	TOTAL 58%
B.A. I, II, III	600	72	192	84	348
B. Sc. BIO I, II, III	600	72	192	84	348
B. Sc. MATHS I, II, III	180	22	58	25	105
B.COM. I, II, III	180	22	58	25	105
M.A. GEOGRAPHY I, III SEM.	60	7	19	8	34
TOTAL	**1620**	**195**	**519**	**226**	**940**

2019-20

PROGRAMME NAME	ALLOTED SEAT	SC 12%	ST 32%	OBC 14%	TOTAL 58%
B.A. I, II, III	600	72	192	84	348
B. Sc. BIO I, II, III	600	72	192	84	348
B. Sc. MATHS I, II, III	180	22	58	25	105
B.COM. I, II, III	180	22	58	25	105
M.A. GEOGRAPHY I, III SEM.	60	7	19	8	34
TOTAL	**1620**	**195**	**519**	**226**	**940**

2018-19

PROGRAMME NAME	ALLOTED SEAT	SC 12%	ST 32%	OBC 14%	TOTAL 58%
B.A. I, II, III	600	72	192	84	348
B. Sc. BIO I, II, III	390	47	125	55	227
B. Sc. MATHS I, II, III	180	22	58	25	105
B.COM. I, II, III	180	22	58	25	105
M.A. GEOGRAPHY I, III SEM.	60	7	19	8	34
TOTAL	**1410**	**170**	**452**	**197**	**819**

Scanned by TapScanner

2017-18

PROGRAMME NAME	ALLOTED SEAT	SC 12%	ST 32%	OBC 14%	TOTAL 58%
B.A. I, II, III	600	72	192	84	348
B. Sc. BIO I, II, III	300	36	96	42	174
B. Sc. MATHS I, II, III	180	22	58	25	105
B.COM. I, II, III	180	22	58	25	105
M.A. GEOGRAPHY I, III SEM.	60	7	19	8	34
TOTAL	**1320**	**159**	**423**	**184**	**766**

2016-17

PROGRAMME NAME	ALLOTED SEAT	SC 12%	ST 32%	OBC 14%	TOTAL 58%
B.A. I, II, III	600	72	192	84	348
B. Sc. BIO I, II, III	210	25	67	29	121
B. Sc. MATHS I, II, III	180	22	58	25	105
B.COM. I, II, III	180	22	58	25	105
M.A. GEOGRAPHY I, III SEM.	60	7	19	8	34
TOTAL	**1230**	**148**	**394**	**171**	**713**

PRINCIPAL
MAHESH BAGHEL JI KESHKAL DANDKARNYA
GOVT. COLLEGE KESHKAL DIST. KONDAGAON (C.G.)

Scanned by TapScanner